

5

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

कमांक : पुमु/3/कार्मिक/ 210 /2021 दिनांक 15.01.2021

प्रति,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इन्दौर/भोपाल
समस्त पुलिस अधीक्षक, म.प्र. (रेल सहित)

विषय :- थानों में कर्मचारियों की पदस्थापना के संबंध में निर्देश ।
संदर्भ :- पुलिस मुख्यालय का परिपत्र कमांक पुमु/3/कार्मिक/1892/2015
दिनांक 20.03.2015

विषयान्तर्गत संदर्भ में पूर्व में पुलिस मुख्यालय के संदर्भित परिपत्र द्वारा थानों में आरक्षक से उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारी/अधिकारियों की पदस्थापना अवधि के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि :-

1. किसी एक थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना सामान्यतः 4 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष से अधिक नहीं हो।
2. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को उपरोक्त अवधि की पदस्थापना पूर्ण होने के उपरांत पुनः उस पद पर उसी थाने में पदस्थ नहीं किया जावे।
3. किसी भी कर्मचारी की पृथक पदों पर किसी एक थाने में पुनः पदस्थापना में कम से कम 3 वर्षों का अंतराल अवश्य रखा जावे।
4. आरक्षक से उप निरीक्षक के पद पर किसी भी कर्मचारी की एक ही अनुविभाग में विभिन्न पदों पर कुल पदस्थापना अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं हो।

उपरोक्त सेवाकाल में स्थानान्तर के साथ-साथ अटेचमेंट की समयावधि भी शामिल रहेगी।

कृपया अपने जिले के प्रत्येक थाने में पदस्थ आरक्षक से उप निरीक्षक तक की पदस्थापना के सेवाकाल का परीक्षण करें एवं उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन 20 फरवरी, 2021 तक पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करें।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
गृह (पुटि25) विभाग
(बी-4)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

..2..


क्रमांक : पुमु/3/कार्मिक/ 210 /2021 दिनांक 15.01.2021

प्रतिलिपि :-

1. विशेष पुलिस महानिदेशक(रेल),समस्त जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक, म.प्र. को उपरोक्त निर्देशों का समय-सीमा में पालन सुनिश्चित कराया जाने हेतु।
2. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, म.प्र. की ओर सूचनाार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


15/1/21

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल


अनुभाग अधिकारी
गृह (पुलिस) विभाग
(बी-4)
संसाधन, गोपात्र